



छत्रपति शाहु जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
 CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर-208024
 Kalyanpur, Kanpur-208024

Pad_Teacher_Approval_Sign_July_2017.doc
 दिनांक: 28/08/2020

सन्दर्भ सं: सी.एस.जे.एम.वि.वि. / सम्ब. / 2883 / 2020

प्राप्तक,

प्रबन्धक / सचिव प्रबन्ध समिति
 कनकरानी दर्शन सिंह शिक्षण संस्थान,
 गौरी, झीझक,
 कानपुर देहात।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत प्राचार्य व सहायक आचार्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रेषित प्रस्ताव दिनांक: 15.07.2020 तथा चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09 मई 2000, शासनादेश संख्या-4503/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 31 अगस्त, 2000, शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97 दिनांक: 11 जनवरी, 2008 एवं शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2011-16(409)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 के प्राविधानानुसार माननीय कुलपति जी ने निम्नलिखित चयन का अनुमोदन प्रदान करने की कृपा की है।

क्र.०	नाम	पिता का नाम	पदनाम
1.	डॉ० विपिन कुमार	श्री योगेन्द्र कुमार गुप्ता	प्राचार्य (जन्म तिथि-01.12.1971) अनुमोदन 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु तक
2.	डॉ० आनन्द शुक्ला	श्री रमाकान्त शुक्ला	सहायाचार्य- गणित अनुमोदन
3.	डॉ० अरविन्द कुमार वर्मा	स्व० बी०पी० वर्मा	सहायाचार्य- भौतिक विज्ञान अनुमोदन
4.	श्री राजीव लोहिया	श्री अशोक कुमार	सहायाचार्य- रसायन विज्ञान अनुमोदन
5.	श्री परमेश्वर लाल भाष्मू	श्री चाँदमल भाष्मू	सहायाचार्य- जन्तु विज्ञान अनुमोदन
6.	डॉ० संगीता गुप्ता	श्री कै०कै० गुप्ता	सहायाचार्य- वनस्पति विज्ञान अनुमोदन

यदि सम्बन्धित अभिलेखों में किसी प्रकार की त्रुटि पायी गयी तो इसके जिम्मेदार प्रबन्धक और सम्बन्धित प्राचार्य एवं शिक्षक होंगे।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्राचार्य एवं शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, अनुबन्ध पत्र एवं कार्यभार ग्रहण आख्या सम्बन्धी अभिलेख अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डॉ० अनिल कुमार यादव)

 कुल सचिव



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
Formerly Kanpur University, Kanpur

सन्दर्भ सं0:सी0एस0जे0एम0वि0/सम्ब0/सं0: 1381/2025

दिनांक: 19/07/2025

सेवा में,
प्रबन्धक/सचिव (प्रबन्ध समिति),
KANAKRANI DARSHAN SINGH SIKHSAN SANSTHAN, KANPUR DEHAT (KD75),
GAURI JHINJHAK,
Kanpur Dehat

विषय:- रवितिपोषित योजना के अंतर्गत प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रेषित प्रस्ताव दिनांक: 10 Mar 2025 तथा योजना की समिति की संस्तुति के आधार पर रवितिपोषित योजना के अंतर्गत शासनादेश रांख्या-2443/सतर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000, शासनादेश संख्या-4503/सतर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 31 अगस्त, 2000, शासनादेश संख्या-5699/सतर-2-2007-2(85)/97 दिनांक 11 जनवरी, 2008, शासनादेश रांख्या-2218/सतर-2-2011-16(409)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 एवं शासनादेश संख्या-226/सतर-2-2020-18 (31)/2018 दिनांक 13 मार्च, 2020 के प्राविधानानुसार माननीय कुलपति जी के निम्नलिखित अभ्यर्थी के चयन का अनुमोदन प्रदान करने की कृपा की है।

FacultyName	FatherName	Designation	CourseName	Subject	DOB
DIVYA MISHRA	A K MISHRA	Assistant Professor	BACHELOR OF SCIENCE	CHEMISTRY	Mar 11 1991

- अभ्यर्थीयों द्वारा अनुमोदन के पक्षात् सम्बन्धित महाविद्यालय में ही शिक्षण कार्य किये जाने एवं अन्य संस्थान या महाविद्यालय में कार्यरत न होने सम्बन्धी तथा प्रस्तुत समस्त शैक्षिक प्रपत्र सही होने सम्बन्धी शपथ पत्र मूल रूप में अनुमोदित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्य के नियुक्त पत्र, अनुबन्ध पत्र एवं कार्यभार ग्रहण आख्या तथा बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रपत्र 01 सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त प्रपत्र निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराये जाने के पक्षात् ही शिक्षक कोड आवंटित किया जायेगा।
- महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र द्वारा सम्बन्धित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्य के शैक्षिक एवं कार्यविभव सम्बन्धी प्रपत्रों का सत्यापन अपने स्तर से आवश्यक रूप से कराया जायेगा तथा सत्यापन आख्या संकलित की जायेगी एवं आवश्यकता पड़ने पर उक्त आख्या विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- प्रस्तुत किये गये शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्र/अन्य प्रपत्रों में यदि किसी प्रकार की त्रुटि भविष्य में पायी जाती है तो इसके निम्नों दरात् सम्बन्धित सहायक आचार्य/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य एवं महाविद्यालय के प्रबन्धक होंगे।

(कुलसचिव)

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्य।
- निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थी।
- सम्बन्धित पत्रावली।

(कुलसचिव)

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
Formerly Kanpur University, Kanpur

सन्दर्भ सं0:सी0एस0जे0एम0वि0/सम्ब0/सं0: 1380/2025

दिनांक: 19/07/2025

सेवा में,
प्रबन्धक/सचिव (प्रबन्ध समिति),
KANAKRANI DARSHAN SINGH SIKHSAN SANSTHAN, KANPUR DEHAT (KD75),
GAURI JHINJHAK,
Kanpur Dehat

विषय:- रवितिपोषित योजना के अंतर्गत प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रेषित प्रस्ताव दिनांक: 10 Mar 2025 तथा योजना की समिति की संस्तुति के आधार पर रवितिपोषित योजना के अंतर्गत शासनादेश रांख्या-2443/सतर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000, शासनादेश संख्या-4503/सतर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 31 अगस्त, 2000, शासनादेश संख्या-5699/सतर-2-2007-2(85)/97 दिनांक 11 जनवरी, 2008, शासनादेश रांख्या-2218/सतर-2-2011-16(409)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 एवं शासनादेश संख्या-226/सतर-2-2020-18 (31)/2018 दिनांक 13 मार्च, 2020 के प्राविधानानुसार माननीय कुलपति जी के निम्नलिखित अभ्यर्थी के चयन का अनुमोदन प्रदान करने की कृपा की है।

FacultyName	FatherName	Designation	CourseName	Subject	DOB
RAVI SIWACH	RAJESH SINGH	Assistant Professor	BACHELOR OF SCIENCE	MATHEMATICS	Jun 8 1997

- अभ्यर्थियों द्वारा अनुमोदन के पक्षात् सम्बन्धित महाविद्यालय में ही शिक्षण कार्य किये जाने एवं अन्य संस्थान या महाविद्यालय में कार्रवात न होने सम्बन्धी तथा प्रस्तुत समस्त शैक्षिक प्रपत्र सही होने सम्बन्धी शपथ पत्र मूल रूप में अनुमोदित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्य के नियुक्त पत्र, अनुबन्ध पत्र एवं कार्यभार ग्रहण आख्या तथा बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रपत्र 01 सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त प्रपत्र निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराये जाने के पक्षात् ही शिक्षक कोड आवंटित किया जायेगा।
- महाविद्यालय के प्रबंधतन्त्र द्वारा सम्बन्धित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्य के शैक्षिक एवं कार्यविभव सम्बन्धी प्रपत्रों का सत्यापन अपने स्तर से आवश्यक रूप से कराया जायेगा तथा सत्यापन आख्या संकलित की जायेगी एवं आवश्यकता पड़ने पर उक्त आख्या विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- प्रस्तुत किये गये शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्र/अन्य प्रपत्रों में यदि किसी प्रकार की त्रुटि भविष्य में पायी जाती है तो इसके निम्नों दरात् सम्बन्धित सहायक आचार्य/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य एवं महाविद्यालय के प्रबन्धक होंगे।

(कुलसचिव)

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्य।
- निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थी।
- सम्बन्धित पत्रावली।

(कुलसचिव)

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
Formerly Kanpur University, Kanpur

सन्दर्भ सं0:सी0एस0जे0एम0वि0/सम्ब0/सं0: 1382/2025

दिनांक: 19/07/2025

सेवा में,
प्रबन्धक/सचिव (प्रबन्ध समिति),
KANAKRANI DARSHAN SINGH SIKHSAN SANSTHAN, KANPUR DEHAT (KD75),
GAURI JHINJHAK,
Kanpur Dehat

विषय:- ट्वितपोषित योजना के अंतर्गत प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रेषित प्रस्ताव दिनांक: 04 Apr 2025 तथा चयन समिति की संस्थानी के आधार पर ट्वितपोषित योजना के अंतर्गत शासनादेश संख्या-2443/सतर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000, शासनादेश संख्या-4503/सतर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 31 अगस्त, 2000, शासनादेश संख्या-5699/सतर-2-2007-2(85)/97 दिनांक 11 जनवरी, 2008, शासनादेश संख्या-2218/सतर-2-2011-16(409)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 एवं शासनादेश संख्या-226/सतर-2-2020-18 (31)/2018 दिनांक 13 मार्च, 2020 के प्राविधानानुसार माननीय कुलपति जी के निम्नलिखित अभ्यर्थी के चयन का अनुमोदन प्रदान करने की कृपा की है।

FacultyName	FatherName	Designation	CourseName	Subject	DOB
RASHIDA KHATOON	MUKTAR ALI	Assistant Professor	BACHELOR OF SCIENCE	ZOOLOGY	Jul 2 1985

- अभ्यर्थियों द्वारा अनुमोदन के पक्षात् सम्बन्धित महाविद्यालय में ही रिक्षण कार्य किये जाने एवं अन्य संस्थान या महाविद्यालय में कार्यरत न होने सम्बन्धी तथा प्रस्तुत समस्त शैक्षिक प्रपत्र सही होने सम्बन्धी शपथ पत्र मूल रूप में अनुमोदित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्य के नियुक्त पत्र, अनुबन्ध पत्र एवं कार्यभार ग्रहण आख्या तथा बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रपत्र 01 सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त प्रपत्र निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराये जाने के पक्षात् ही शिक्षक कोड आवंटित किया जायेगा।
- महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र द्वारा सम्बन्धित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्य के शैक्षिक एवं कार्यविभव सम्बन्धी प्रपत्रों का सत्यापन अपने स्तर से आवश्यक रूप से कराया जायेगा तथा सत्यापन आख्या संकलित की जायेगी एवं आवश्यकता पड़ने पर उक्त आख्या विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- प्रस्तुत किये गये शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्र/अन्य प्रपत्रों में यदि किसी प्रकार की त्रुटि भविष्य में पायी जाती है तो इसके निम्नों दार अवधिकारी के उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(कुलसचिव)

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्य।
- निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थी।
- सम्बन्धित पत्रावली।

(कुलसचिव)

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर



छत्रपति शाह जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAH JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
Formerly Kanpur University, Kanpur

सन्दर्भ सं: सी01एस0जे0एम0वि0/सम्ब0/सं0: 1379/2025

दिनांक: 19/07/2025

सेवा में,
प्रबन्धक/सचिव (प्रबन्ध समिति),
KANAKRANI DARSHAN SINGH SIKHSAN SANSTHAN, KANPUR DEHAT (KD75),
GAURI JHINJHAK,
Kanpur Dehat

विषय:- टक्कितपोषित योजना के अंतर्गत प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रेषित प्रस्ताव दिनांक: 04 Apr 2025 तथा चयन समिति की संस्तुति के आधार पर टक्कितपोषित योजना के अंतर्गत शासनादेश संख्या-2443/सतर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000, शासनादेश संख्या-4503/सतर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 31 अगस्त, 2000, शासनादेश संख्या-5699/सतर-2-2007-2(85)/97 दिनांक 11 जनवरी, 2008, शासनादेश संख्या-2218/सतर-2-2011-16(409)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 एवं शासनादेश संख्या-226/सतर-2-2020-18 (31)/2018 दिनांक 13 मार्च, 2020 के प्राविधानानुसार माननीय कुलपति जी के निम्नलिखित अभ्यर्थी के चयन का अनुमोदन प्रदान करने की कृपा की है।

FacultyName	FatherName	Designation	CourseName	Subject	DOB
SUNIL KUMAR DWIVEDI	AMAR NATH DWIVEDI	Assistant Professor	BACHELOR OF SCIENCE	BOTANY	Dec 17 1969

- अभ्यर्थीयों द्वारा अनुमोदन के पक्षात् सम्बन्धित महाविद्यालय में ही रिक्षण कार्य किये जाने एवं अन्य संस्थान या महाविद्यालय में कार्यरत न होने सम्बन्धी तथा प्रस्तुत समस्त शैक्षिक प्रपत्र सही होने सम्बन्धी शपथ पत्र मूल रूप में अनुमोदित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्य के नियुक्त पत्र, अनुबन्ध पत्र एवं कार्यभार ग्रहण आख्या तथा बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रपत्र 01 सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त प्रपत्र निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराये जाने के पक्षात् ही शिक्षक कोड आवंटित किया जायेगा।
- महाविद्यालय के प्रबंधतन्त्र द्वारा सम्बन्धित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्य के शैक्षिक एवं कार्यविभव सम्बन्धी प्रपत्रों का सत्यापन अपने स्तर से आवश्यक रूप से कराया जायेगा तथा सत्यापन आख्या संकलित की जायेगी एवं आवश्यकता पड़ने पर उक्त आख्या विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- प्रस्तुत किये गये शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्र/अन्य प्रपत्रों में यदि किसी प्रकार की त्रुटि भविष्य में पायी जाती है तो इसके निम्नों दार द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(कुलसचिव)

छत्रपति शाह जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्य।
- निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थी।
- सम्बन्धित पत्रावली।

(कुलसचिव)

छत्रपति शाह जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर



छत्रपति शाह जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAH JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
Formerly Kanpur University, Kanpur

सन्दर्भ सं0:सी0एस0जे0एम0वि0/सम्ब0/सं0: 1378/2025

दिनांक: 19/07/2025

सेवा में,
प्रबन्धक/सचिव (प्रबन्ध समिति),
KANAKRANI DARSHAN SINGH SIKHSAN SANSTHAN, KANPUR DEHAT (KD75),
GAURI JHINJHAK,
Kanpur Dehat

विषय:- टवितपोषित योजना के अंतर्गत प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रेषित प्रस्ताव दिनांक: 04 Apr 2025 तथा चयन समिति की संस्तुति के आधार पर टवितपोषित योजना के अंतर्गत शासनादेश संख्या-2443/सतर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000, शासनादेश संख्या-4503/सतर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 31 अगस्त, 2000, शासनादेश संख्या-5699/सतर-2-2007-2(85)/97 दिनांक 11 जनवरी, 2008, शासनादेश संख्या-2218/सतर-2-2011-16(409)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 एवं शासनादेश संख्या-226/सतर-2-2020-18 (31)/2018 दिनांक 13 मार्च, 2020 के प्राविधानानुसार माननीय कुलपति जी के निम्नलिखित अभ्यर्थी के चयन का अनुमोदन प्रदान करने की कृपा की है।

FacultyName	FatherName	Designation	CourseName	Subject	DOB
PRADEEP KUMAR PRAJAPATI	RAKESH KUMAR PRAJAPATI	Assistant Professor	BACHELOR OF SCIENCE	PHYSICS	Dec 18 1988

- अभ्यर्थियों द्वारा अनुमोदन के पश्चात सम्बन्धित महाविद्यालय में ही रिक्षण कार्य किये जाने एवं अन्य संस्थान या महाविद्यालय में कार्यरत न होने सम्बन्धी तथा प्रस्तुत समस्त शैक्षिक प्रपत्र सही होने सम्बन्धी शपथ पत्र मूल रूप में अनुमोदित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्य के नियुक्त पत्र, अनुबन्ध पत्र एवं कार्यभार ग्रहण आख्या तथा बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रपत्र 01 सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त प्रपत्र निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराये जाने के पक्षात ही शिक्षक कोड आवंटित किया जायेगा।
- महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र द्वारा सम्बन्धित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्य के शैक्षिक एवं कार्यविभव सम्बन्धी प्रपत्रों का सत्यापन अपने स्टर द्वारा आवश्यक रूप से कराया जायेगा तथा सत्यापन आख्या संकलित की जायेगी एवं आवश्यकता पड़ने पर उक्त आख्या विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- प्रस्तुत किये गये शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्र/अन्य प्रपत्रों में यदि किसी प्रकार की त्रुटि भविष्य में पायी जाती है तो इसके निम्नों दरात सम्बन्धित सहायक आचार्य/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य एवं महाविद्यालय के प्रबन्धक होंगे।

(कुलसचिव)

छत्रपति शाह जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्य।
- निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थी।
- सम्बन्धित पत्रावली।

(कुलसचिव)

छत्रपति शाह जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर